20 **फरवरी 2024**

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

पीएसीएल लि. के निवेशकों के लिए दावे संबंधी आवेदनों की स्थिति जान सकने / उनकी खामियाँ जान सकने और उन खामियों को दूर कर सकने की सुविधा

1. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति (पीएसीएल लि. के मामले से संबंधित) ने अब तक सफलतापूर्वक उन पात्र आवेदनों के संबंध में रकम अदा कर दी है, जिनमें दावे की रकम `19,000/- तक की थी, परंतु ऐसे कुछ आवेदनों (जिनमें दावे की रकम `19,000/- तक की थी) में एक या एक से अधिक खामियाँ होने के कारण उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

2. समिति ने पहले ही, तारीख 15 जनवरी, 2020 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, उन निवेशकों / आवेदकों को अपने दावे संबंधी आवेदनों की स्थिति http://www.sebipaclrefund.co.in/ पर ऑनलाइन जान सकने और खामियों (यदि कोई हों) को दूर कर सकने की सुविधा प्रदान की थी, जिनके दावे की रकम `5,000/- तक की थी । इसके बाद, समिति ने तारीख 21 जुलाई, 2020 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से ऐसी ही सुविधा उन निवेशकों को भी प्रदान की थी, जिनके दावे की रकम `5,001/- से `7,000/- रुपये तक की थी । समिति ने उन निवेशकों / आवेदकों को भी 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 तक अपने दावे संबंधी आवेदनों की खामियों (यदि कोई हों) को दूर करने का अवसर प्रदान किया था, जिनके दावे की रकम `10,000/- तक की थी । इसके बाद, समिति ने उन निवेशकों / आवेदकों को भी 1 नवम्बर, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक अपने दावे संबंधी आवेदनों की खामियों (यदि कोई हों) को दूर करने का अवसर प्रदान किया था, जिनके दावे की रकम `15,000/- तक की थी | इसके बाद, समिति ने उन निवेशकों / आवेदकों को भी 15 जून, 2023 से 14 सितम्बर, 2023 तक अपने दावे संबंधी आवेदनों की खामियों (यदि कोई हों) को दूर करने का अवसर प्रदान किया था, जिनके दावे की रकम `15,000/- से `17,000/- रुपये तक की थी |

3. समिति अब **14 मार्च, 2023** से उन निवेशकों / आवेदकों को अपने दावे संबंधी आवेदनों की खामियाँ दूर करने का ऐसा ही अवसर प्रदान कर रही है, जिनके दावे की रकम `19,000/- तक की है, और जिनके आवेदनों में खामियाँ पाई गई हैं । ऐसे निवेशक / आवेदक इस लिंक पर लॉग-इन करके अपने आवेदनों की खामियाँ दूर कर सकते हैं: http://www.sebipaclrefund.co.in ।

4. यह सुविधा, निवेशकों / आवेदकों के लिए **14 मार्च, 2024 से 13 जून, 2024** तक उपलब्ध रहेगी ।

नोडल अधिकारी-सह-सचिव
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति
(पीएसीएल लि. के मामले से संबंधित)